

हरियाणा विधान सभा

सत्र-14

बुलेटिन संख्या-2

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023

(हरियाणा विधान सभा की सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 6.16 बजे तक हुई बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

1. शोक प्रस्ताव.

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय:-

1. श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेन्द्र ढांडा;

2. लेफ्टिनेंट अक्षत; जिला हिसार

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 2 मिनट भाषण दिया।

उप मुख्यमंत्री ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरुण चौधरी ने एक मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा कुछ पल के लिए भाषण दिया।

यह विनिश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य-स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन धारण किया।

2. प्रश्न

(क) तारांकित:

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	14	01	.	25

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकित: 40

3. चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर एवं चंडीगढ़ नगर निगम के 13 भूतपूर्व महापौरों और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना

प्रश्न काल के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से—

(क) श्री अनूप गुप्ता, महापौर, चंडीगढ़ नगर निगम एवं चंडीगढ़ नगर निगम के 13 भूतपूर्व महापौरों का जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोकरा, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

4. वाक आउट

प्रश्न काल के दौरान, सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला उनके द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर उनके द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का खेल मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य मंत्री, हरियाणा तथा सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि—

(क) उन्हें श्री कमलेश ढांडा, राज्य मंत्री, हरियाणा से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे का आकस्मिक निधन हो गया है इसलिए वे दिनांक 18 दिसम्बर और 19 दिसम्बर, 2023 को होने वाली सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

(ख) उन्हें श्री राकेश दौलताबाद, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कारणों से उनको चंडीगढ़ से बादशाहपुर वापस जाना पड़ा है इसलिए वे आज दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री भव्य बिश्नोई, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी और उनके छोटे भाई की शादी समारोह की तैयारियों की व्यवस्था के चलते वे दिनांक 18 दिसम्बर व 19 दिसम्बर, 2023 को होने वाली सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

6. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज सर्वश्री बिशन लाल सैनी, लीला राम, इन्दुराज, सुभाष गांगोली, श्रीमती निर्मल रानी, नयन पाल रावत, बलबीर सिंह, मामन खान,

विनोद भ्याना, सीता राम, नरेन्द्र गुप्ता, श्रीमती सीमा त्रिखा, भारत भूषण बतरा, दीपक मंगला और धर्मपाल गोंदर, विधायकों को शून्यकाल में बोलने के लिए 4-4 मिनट का समय दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने श्री बिशन लाल सैनी को शून्य काल में अपनी बात रखने के लिए कहा।

7. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 15.12.2023 को सदन में उप मुख्यमंत्री और उनके बीच हुए विवाद का मामला उठाना।

जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने श्री बिशन लाल सैनी को शून्यकाल में बोलने के लिए कहा, उसी समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने दिनांक 15.12.2023 को उनके विरुद्ध उप मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया में जो बयान दिया गया था उसका उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे इस बारे में आज रिटन स्टेटमेंट देना चाहती हैं। अध्यक्ष महोदय ने सदस्या को कहा कि इस बारे में उसी दिन हाउस की ओर से डिस्मिशन हो गया था कि इस केस की इन्कवायरी पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी इसलिए आज इस मामले को पुनः सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्रीमती गीता भुक्कल काफी देर तक इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे। अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि जब दिनांक 15.12.2023 को पूरे सदन की सहमति से यह डिस्मिशन हो रहा था तो उस समय किसी भी सदस्य ने इसको अपोज नहीं किया था। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि जो यह इन्कवायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जा रही है उसके टर्मज आफ रैफरेंस क्या होंगे। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उस दिन इस बारे में सदन में जो एलीगेशंस और काउंटर एलीगेशंस लगे हैं वही टर्मज आफ रैफरेंस होंगे। विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष महोदय की बात से सहमत नहीं हुए और वे लगातार अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में तर्क वितर्क करते रहे।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि उन्होंने दिनांक 15.12.2023 को जो वर्ष 2011 कहा था उसको वर्ष 2012 मान लिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस चर्चा में हस्ताक्षेप करते हुए कहा कि गृह विभाग द्वारा पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बारे में इन्कवायरी करने के लिए जो पत्र लिखा जाने वाला है उसमें सारे टर्मज आफ रैफरेंस होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वह सब इन्कवायरी में क्लीयर हो जाएंगे और उसके पश्चात जो भी कार्यवाही करनी होगी वह की जाएगी। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि अगर पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस इन्कवायरी के लिए डिक्लाइन कर देते हैं तभी किसी अन्य ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है अन्यथा जो भी डिस्मिशन हाउस ने इस बारे में लिया है अभी हमें उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए।

उर्जा मंत्री ने भी इस बारे में अपने विचार रखे।

इस विषय पर विपक्ष के सदस्य काफी देर तक सदन में अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने सदन के सदस्यों से निवेदन किया कि इस विषय में सदन ने पहले ही फैसला ले लिया है इसलिए सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठें ।

8. हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों और गवर्नमेंट कॉलेज, पटौदी, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।

जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से—

(क) श्री जसबीर सिंह मलौर, श्री रामबीर सिंह, श्री रामफल कुण्डू एवं श्री धर्मपाल ओबरा, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

(ख) गवर्नमेंट कॉलेज, पटौदी, जिला गुरुग्राम के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

9. बैठक का स्थगन ।

(क) जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर चर्चा के दौरान जब सदन में काफी देर तक शोर गुल होता रहा तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब सदन 15 मिनट के लिए स्थगित रहेगा ।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न—पश्चात् 12:49 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न—पश्चात् 1:04 बजे पुनः समवेत हुआ ।

(जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की ।

(ख) जब सदन समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने पुनः घोषणा की कि दोपहर के भोजनावकाश के लिए सदन 1 घण्टे के लिए स्थगित रहेगा ।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न—पश्चात् 1:04 बजे 1 घण्टे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न—पश्चात् 2:04 बजे पुनः समवेत हुआ ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की ।

10. शून्य काल के सम्बन्ध में सूचना देना ।

जब सदन पुनः समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि वैसे तो अब शून्यकाल का समय समाप्त हो गया है लेकिन उनके विचार से सभी सदस्यों को शून्यकाल में बोलने के लिए समय मिलना चाहिए इसलिए आज का बिजनैस समाप्त होने के बाद शून्य काल शुरू किया जाएगा ।

11. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

“राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से सम्बन्धित”

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23, जो कि श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डू, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव संख्या 1, जो कि श्री बिशन लाल सैनी, विधायक तथा 12 अन्य विधायकों (श्री वरुण चौधरी, श्री मेवा सिंह, श्री भारत भूषण बतरा, श्री कुलदीप वत्स, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती रेनु बाला, श्री शीशपाल सिंह, श्रीमती शैली, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री आफताब अहमद, राव दान सिंह तथा श्रीमती गीता भुक्कल) द्वारा दी गई है, को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बिशन लाल सैनी, विधायक भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44, जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 15 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

उन्होंने आगे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक को अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब गृह मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

12. पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से पी.एम. श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी, जिला जींद के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

13. वर्ष 2019–20, 2020–21, तथा 2021–22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान।

मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2019–20, 2020–21, तथा 2021–22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रथानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स (8 और 23, 35 और 7) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद तथा श्री भारत भूषण बतरा ने क्रमशः 3, 2 और 2 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया।

- क) वर्ष 2019–20

डिमांड्स नं. 8 और 23 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

- ख) वर्ष 2020–21

डिमांड नं. 35 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

- ग) वर्ष 2021–22

डिमांड नं. 7 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

14. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना।

मुख्यमंत्री महोदय ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 (दूसरी किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किये।

15. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–24 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन श्री मोहन लाल बड़ौली ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–24 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

16. वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रथानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी मांगें (संख्या 3 से 6, 10, 12, 15, 17 तथा 19 और 20) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत कर सकते हैं। अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने सदस्यों से पुनः निवेदन किया कि वे उस मांग का क्रमांक बता दें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री भारत भूषण बतरा, शमशेर सिंह गोगी, मेवा सिंह, बिशन लाल, नीरज शर्मा, कुलदीप वत्स, शीशपाल सिंह, प्रदीप चौधरी, वरूण चौधरी, इन्दुराज, राव दान सिंह, जयवीर, जगबीर सिंह मलिक, रघुवीर सिंह कादियान, बलबीर सिंह और मामन खान ने क्रमशः 9, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 8, 3 और 4 मिनट्स भाषण दिया।

सत्ता पक्ष के सदस्य श्री राम कुमार गौतम, श्री जगदीश नायर, श्री जोगी राम सिहाग और श्री लक्ष्मण नापा ने क्रमशः 5, 1, 2 और 1 मिनट भाषण दिया।

निर्दलीय विधायक श्री बलराज कुण्डू ने 2 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री ने उत्तर देते हुए 2 मिनट भाषण दिया।

मांग संख्या 3 से 6 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 10 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 12 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 15 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 17 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 19 और 20 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

17. डिमांड्स की हार्ड कॉपी सदस्यों को उपलब्ध करवाने के बारे में मामला उठाना।

वर्ष 2023–2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि डिमांड्स की हार्ड कॉपी भी सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाएं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे भविष्य में इस बारे में ध्यान रखेंगे।

18. पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा के दौरान, उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गंगवा, जिला हिसार के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

19. विधायी कार्य-

(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 4.32 बजे उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया-

कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लोजिंग पर विचार किया गया।

सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज 1, इन्वैकिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उप मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया-

कि विधेयक पारित किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा० रघुवीर सिंह कादियान ने 2 मिनट्स भाषण दिया।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने जबाब देते हुए 2 मिनट्स भाषण दिया।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

20. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2023 और 18.12.2023 को सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देना।

विधायी कार्य के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 15.12.2023 और आज दिनांक 18.12.2023 को सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का सदन में विस्तृत जवाब दिया।

21.. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को वापिस लेना।

विधायी कार्य के दौरान जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से उन्हें इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को प्रशासनिक कारणों की वजह से वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 5:04 बजे उच्चतर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लोजिंग पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लोज 1, इन्वैस्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक-एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उच्चतर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

22. श्री भारत भूषण बतरा, विधायक द्वारा जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाने के मामले पर पुनर्विचार करने का मामला उठाना।

जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने शून्य काल शुरू करने की घोषणा की उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित मामले पर श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक और उप मुख्यमंत्री महोदय के बीच हुए आरोप प्रत्यारोप की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने के मामले को उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस बारे में एक बार पुनः विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस इन द हरियाणा लैजिस्लेटिव के रूलज 112(1) को भी उद्धृत किया। इसके अलावा उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 की क्लोज 2 को भी उद्धृत

किया । उन्होंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि अगर विधान सभा की तरफ से कोई भी रैफरेंस हाई कोर्ट में जाएगा और उस सम्बन्ध में वहां से जो फाइंडिंग्स/इनडैक्टमेंट आएंगी वे इस सदन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती । उन्होंने यह भी कहा कि विधान सभा के सदस्य को सदन में कुछ भी बोलने का अधिकार है, चाहे वह झूठ ही क्यों न बोले लेकिन सदन की कार्यवाही को हाई कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता ।

मुख्यमंत्री महोदय ने श्री भारत भूषण बतरा के सुझाव पर अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि इस बारे में विचार करने के लिए दिनांक 19.12.2023 को सेशन शुरू होने से पहले अथवा सेशन के दौरान कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुला ली जाए और उसमें सम्बन्धित पक्षों को भी बुला लें ताकि सारी बातों पर विचार किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री के सुझाव पर सदन को सूचित किया कि दिनांक 19.12.2023 को कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुला ली जाएगी और तब तक एल.आर. की ओपिनियन भी आ जाएगी ।

23. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी । तत्पश्चात्, सर्वश्री बिशन लाल सैनी, लीला राम, इन्दुराज, दुड़ा राम, सुभाष गांगोली, श्रीमती निर्मल रानी, नयन पाल रावत, बलबीर सिंह, मामन खान, विनोद भ्याना, सीता राम, नरेन्द्र गुप्ता, भारत भूषण बतरा, दीपक मंगला और धर्मपाल गोंदर, विधायकों, ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया ।

24. श्री आफताब अहमद, विधायक द्वारा सदन की अधिकारी दीर्घा में शून्य काल के दौरान किसी भी सीनियर अधिकारी के न बैठे होने बारे मामला उठाना ।

शून्य काल के दौरान, श्री आफताब अहमद, विधायक ने सदन की अधिकारी दीर्घा में शून्य काल के दौरान किसी भी सीनियर अधिकारी के न बैठे होने बारे मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि शून्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेकिन अगर इस दौरान अधिकारी दीर्घा में कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं बैठा हुआ होगा तो इससे पता लगता है कि वे शून्यकाल के प्रति कितने गम्भीर हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को कहा कि उन्होंने जो यह प्रश्न उठाया है इसका नोटिस लिया जाएगा ।

25. आर्ट ऑफ लिविंग के सत्र में भाग लेने के सम्बन्ध में सूचना देना ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में तनाव मुक्ति एवं प्रसन्नता के लिए दिनांक 19.12.2023 को प्रातः 7:00 बजे से 9:00 बजे तक हरियाणा निवास, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से इस सत्र में शामिल होने के लिए अनुरोध किया ।

उपाध्यक्ष महोदय ने, मध्याह्न पश्चात 3:22 बजे से सायं 4:54 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष महोदय ने सायं 6 बजे सदन की सहमति से सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया।

तब सभा मंगलवार, 19 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चण्डीगढ़
18 अगस्त, 2023.

सचिव।